उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

नीलाम पत्र वाद सं0–01/2000–01

वाणिज्य कर उपायुक्त–बनाम–नरसिंह सिमेंट

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे मे टिप्प तिथि सहित
28.07.23	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा मूल अभिलेख के स्थानांतरण के उपरांत प्रारंभ की गयी है। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निम्नवत है:– *"दिनांक 17.09.2003 को न्यायालय द्वारा धारा–9 के तहत उठाई गई सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया गया है। जहाँ तक निदेशक के असीमित दायित्वों का प्रश्न है इस संबंध में अदालत कोई निश्चित (Specific) आदेश पारित नहीं कर पायी। क्योंकि इस न्यायालय के द्वारा कम्पनी एक्ट की पहलू को कागजात (Document) के अभाव में Deal नहीं किया जा सका। अतः न्यायहित में Review Petition, Memorandum and Article of Association का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि कम्पनी एक्ट लीगल एंटीटी (Legal Entity) है तथा सभी देनदारों पर कम्पनी के बकाया राशि को चुकाने की जिम्मेवारी है। जहाँ तक कम्पनी के निदेशक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी का प्रश्न है, इस संबंध में कम्पनी एक्ट की धारा–322 में प्रावधान है कि "In a limited company the liability of the Directors or of any Directors or of any director or of any managing agent, Secretaries and treasurer or manager may, if so provided by the memorandum, be unlimited"* *उपरोक्त प्रावधान के आलोक में नरसिंह सिमेंट कम्पनी लि0 के Memorandum and Article of Association का अध्ययन किया परन्तु निदेशक के असीमित दायित्वों के संबंध में कोई निश्चित उल्लेख नहीं पाया।* *जहाँ तक निदेशक की व्यक्तिगत असीमित देनदारी तथा वाद दायर करने के पूर्व सेवानिवृत होने के कारण दायित्वमुक्त होने का प्रश्न है, इस संबंध में अधि0 पदा0 को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं श्री नरसिंह ना0 सिंह एवं अन्य निदेशक को व्यक्तिगत दायित्वों से मुक्त किया जाय।* *Memorandum and Article of Association की कंडिका 34 में प्रावधान है "To guarantee the payment of money unsecured or secured payable under or in respect of promissory notes, bounds, debentures ……*	

to give all kinds of indemnities.

स्पष्ट है कि देनदारी का दायित्व कम्पनी का है। अतएव कम्पनी के नाम से सभी सम्पति को Attach करने का आदेश दिया जाता है जिसमें अधियाचित राशि (सूद सहित) की वसूली हो सके। फिलहाल निदेशक के विरूद्ध निर्गत व्यक्तिगत वारन्ट को अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश भी दिया जाता है। तदनुसार कम्पनी के नाम पर कुर्की/जप्ति वारंट निर्गत करें।"

सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में वाद स्थानांतरित होने के उपरांत विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं कई स्मार किये गये। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन भी अभिलेखबद्ध है परंतु विपक्षी द्वारा एक भी तिथि में उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखा गया और न ही उनके किसी प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद को चलाने में कोई अभिरूचि नहीं है एवं तद्नुसार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

विपक्षी द्वारा अपने पक्ष में न्यायालय में किसी प्रकार का दस्तावेज भी दायर नहीं किया गया। तद्नुसार कम्पनी के नाम पर कुर्की/जप्ती वारंट निर्गत करने के आदेश को यथावत रखे जाने का निर्णय नियमसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं सम्पूर्ण अभिलेख के परिशीलन के उपरान्त जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए कम्पनी एक्ट के सुसंगत धारा के तहत कम्पनी के नाम से सभी चल/अचल सम्पति को Attach करने का आदेश दिया जाता है जिससे अधियाचित राशि (ब्याज सहित) की वसूली हो सके।

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गिरिडीह को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध अधियाचित राशि (ब्याज सहित) की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

28/07/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह

28/07/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2023.08.14 16:22:13 +05:30
Location: 192.168.0.124